रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934

No. 3] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 3(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1988 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रधान रजिस्ट्रार	1*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400—67000 रु. + ग्रेड वेतन-10000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्तिः (i) ऐसे अधिकारी जो विधि की डिग्री रखते हैं और (क) केन्दीय सरकार/ राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में सदृश्य पद धारण किए हुए है; (ख) केन्दीय सरकार/ राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में ग्रेड वेतन 8700 रू की श्रेणी के पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद	प्रोन्नतिः- ऐसे रजिस्टार जिनकी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में श्रेणी में तीन वर्ष की नियमति सेवा है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे कैंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 1:-

(ii) ऐसे अधिकारी जो जिला न्यायाधीश/उच्च न्यायालय में अपर रजिस्टार का पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं। वांछनीयः- ऐसे व्यक्ति जो अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड रखते हैं और कार्मिक और प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखते हैं।	के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्रस करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन की आयोग सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण- अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य, – सदस्य 3. सचिव या अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. रजिस्ट्रार	*09(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतनबैंड-4 37400-67000 रू.+ग्रेड वेतन 8700 रू.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12	13
66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे संयुक्त रजिस्ट्रार जिनकी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में पांच वर्ष की नियमित सेवा है जिसके न हो सकने पर संयुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार श्रेणी में जिनकी कम से कम दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है जिसमें संयुक्त रजिस्ट्रार श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा शामिल है । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध मे विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण :- अध्यक्ष 2. अध्यक्ष] केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य,:- सदस्य 3. संयुक्त सचिव, प्रशासनिक अधिकरण खंड का भारसाधक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता

सिफारिशों पर अधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

<u>प्रतिनियुक्ति:</u>

(i) ऐसे अधिकारी जो विधि की डिग्री रखते हैं और

(क) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) जिनकी ग्रेड वेतन 7600 रू. श्रेणी के पद में नियमित आधार पर न्यूनतम पांच वर्ष की जिनकी सेवा के साथ पद धारण किए हुए है; या

(ग) जिनकी ग्रेड वेतन 6600 रू. श्रेणी के पद में नियमित आधार पर न्यूनतम दस वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुए हैं ।

(ii) ऐसे अधिकारी जो जिला न्यायधीश/अपर जिला न्यायधीश/उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार/अपर रजिस्ट्रार का पद नियमित आधार पर धारण किए हुए है ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की

		सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलप हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. संयुक्त रजिस्ट्रार	*11(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तिन किया जा सकता है ।	साधारण कैंद्रीय क्षेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतनबैंड-4 37400-67000 रू.+ग्रेड वेतन 8700 रू.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12	13
66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	**<u>प्रोन्नति:</u>** ऐसे उप रजिस्ट्रार जिनकी कैंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध मे विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष, कैंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, कैंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य - सदस्य	लागू नहीं होता

<table>
<tr>
<td></td>
<td>टिप्पण 2:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

<u>प्रतिनियुक्तिः</u>

(i) ऐसे अधिकारी जो विधि की डिग्री रखते हैं और
(क) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय के अधीन में सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
(ख) जिनकी ग्रेड वेतन 6600 रू. के पद पर श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है ।

(ii) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा है ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण</td>
<td>3. संयुक्त सचिव, प्रशासनिक अधिकरण खंड का भारसाधक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग : सदस्य</td>
<td></td>
</tr>
</table>

		ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलप हो गया है और वहां या लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. उप रजिस्ट्रार	*24(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तिन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतनबैंड-3 15600-39100 रू.+ग्रेड वेतन 6600 रू.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12	13
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसे अनुभाग अधिकारी/कोर्ट अफिसर जिनकी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ग्रेड वेतन 4800 रू. और 5400 रू की श्रेणी छह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण : अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य – सदस्य 3. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रधान रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार या अन्य रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण : सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

<u>प्रतिनियुक्ति:</u>

(i) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय के ऐसे अधिकारी;

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए है, या

(ii) जिनकी ग्रेड वेतन 5400 रू. में न्युनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा है या समतुल्य, या

(iii) जिनकी ग्रेड वेतन 4800 रू. में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा या समतुल्य; और

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री रखते है या समतुल्य ।

(ii) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा है ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी

	द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलप हो गया है और वहां या लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[फा. सं. ए-12011/3/2009-एटी]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. संख्या 1036*(अ) तारीख 27 अक्तूबर, 1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. संख्यांक 1024(अ) तारीख 20 नवम्बर, 1989, सा.का.नि. संख्यांक 494 तारीख 20 अगस्त, 1991, सा.का.नि. संख्यांक 472(अ) तारीख 23 अगस्त, 1997 और सा.का.नि. संख्यांक 154(अ) तारीख 23 फरवरी, 2000 द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2012

G.S.R. 3(E).— In exercise of the powers conferred by Section 36 read with sub-sections (1) and (2) of Section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal, (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1988, namely: -

1. (1) **Short title and commencement**:- These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1988, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely: -

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band Plus Grade Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Principal Registrar	*1 (2012) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4 Rs.37400-67000/- Plus Grade Pay of Rs.10000/-	Selection	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made**		**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
8.	**9.**	**10.**	**11.**		**12.**	**13.**
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation	**Promotion: -** Registrar with three years regular service in the grade in the Central Administrative Tribunal. **Note 1:** - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: 1.Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman 2. Member nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal-Member 3.Secretary or Additional Secretary in the Department of Personnel & Training- Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7

8.	9.	10	11.	12	13
			Note 2: - For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended, based on that recommendations of that Commission. **Deputation:** **(i)** Officers possessing a degree in law and holding- **(a)** analogous posts in the Central Government / State Government / High Court; **(b)** a post in Central Government/ State Government/ High Court in the grade pay of Rs.8700/- with three years regular service in the grade.		

1	2	3	4	5	6	7

8	9	10	11	12	13
			(ii) Officers holding post of District Judge/ Additional Registrar of High Courts on regular basis. **Desirable:** - Persons having good academic record and having experience of personnel and administrative matters. **Note 1:** - The Departmental Officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** - The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

33 GI/13—4

1	2	3	4	5	6	7

8	9	10	11	12	13
			Note 3: - For purposes of appointment on deputation / absorption basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 01.01.2006(the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay / Pay Scale extended based on the recommendations of that Commission except where these has been merged of more than one pre-revised scale of pay into one Grade with a common Grade Pay/ Pay Scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay / Pay Scale in the normal replacement grade without any upgradation.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Registrar	*09 (2012) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4 Rs.37400-67000/- Plus Grade Pay of Rs.8700/-	Selection	Not applicable	Not applicable

8.	9.	10.	11.	12.	13.
Not applicable	Not applicable	**66.66%** by Promotion; and **33.33%** by deputation	**Promotion: -** Joint Registrar with five years regular service in the Central Administrative Tribunal failing which at least ten years combined regular service in the grades of joint Registrar and Deputy Registrar, out of which at least three years regular service should be in the grade of joint Registrar.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1.Chairman- Central Administrative Tribunal - Chairman 2.Member nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member 3. Joint Secretary Incharge of Administrative Tribunal Division in the Department of Personnel & Training - Member	Not applicable
			Note 1: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** - For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on that recommendations of that Commission.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8	9	10	11	12	13
			Deputation: - **(i)** Officers possessing a degree in law and holding- **(a)** analogous post in the Central Government/ State Government/ High Court; or **(b)** posts with grade pay of Rs.7600/- with a minimum of five years regular service in the grade; or **(c)** posts with grade pay of Rs.6600/- with a minimum of ten years regular service, or **(ii)** Officers holding post of District Judge/Additional District Judge/ Registrar/ Additional Registrar of High Court on regular basis. **Note 1**: - The Departmental Officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** - The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8	9	10	11	12	13
			Note 3: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of that Commission except where these has been merged of more than one pre-revised scale of pay into one Grade with a common Grade Pay/Pay Scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale in the normal replacement grade without any upgradation.		

33 GI/13-5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3. Joint Registrar	*11 (2012) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs.15600-39100/- Plus Grade Pay of Rs.7600/-	Selection	Not applicable	Not applicable

8.	9.	10.	11.	12.	13.
Not applicable	Not applicable	**66.66%** by Promotion; and **33.33%** by deputation	**Promotion: -** Deputy Registrar with five years regular service in the grade in the Central Administrative Tribunal.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -	Not applicable
			Note 1: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. Chairman, Central Administrative Tribunal- Chairman 2.Member nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal- Member 3. Joint Secretary Incharge of Administrative Tribunal Division in the Department of Personnel and Training - Member	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8	9	10	11	12	13
			Note 2: - For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of that Commission. **Deputation: -** **(i)** Officers possessing a degree in Law and holding: **(a)** analogous posts under Central Government/ State Government/ High Court; or **(b)** posts with minimum of five years regular service in the grade pay of Rs.6600/- **(ii)** Judicial officers with minimum of eight years regular service. **Note 1:** - The Departmental Officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** - The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8	9	10	11	12	13
			Note 3: - For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/ Pay Scale extended based on the recommendations of that Commission except where these has been merged of more than one pre-revised scale of pay into one Grade with a common Grade Pay/ Pay Scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/ Pay Scale in the normal replacement grade without any upgradation.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4. Deputy Registrar	*24 (2012) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs.15600-39100/- Plus Grade Pay of Rs.6600/-	Selection	Not applicable	Not applicable

8.	9.	10.	11.	12.	13.
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation	**Promotion: -** Section Officer/ Court Officer in the Central Administrative Tribunal with combined regular service of six years in the grade pay of Rs.4800/- and 5400/-. **Note 1:** - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. Chairman, Central Administrative Tribunal or a Member nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman 2.Member, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member 3. Principal Registrar or other Registrar or Joint Registrar nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member	Not applicable

33 GI/13-6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8	9	10	11	12	13
			Note 2: - For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/ Pay Scale extended based on the recommendations of that Commission. **Deputation: -** **(i)** Officers of the Central Government/ State Government/ High Court; **(a) (i)** holding analogous post on regular basis, or **(ii)** with at least five years regular service in the grade pay of Rs.5400/- or **(iii)** with at least six years regular service in the grade pay of Rs.4800/- or equivalent; and **(b)** possessing a degree in Law from a recognized University or equivalent. **Note 1:** - The Departmental Officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

1	2	3	4	5	6	7

8	9	10	11	12	13
			Note 2: - The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. **Note 3:** - For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 01.01.2006(the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/ Pay Scale extended based on the recommendations of that Commission except where these has been merged of more than one pre-revised scale of pay into one Grade with a common Grade Pay/ Pay Scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale in the normal		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8	9	10	11	12	13
			replacement grade without any upgradation.		

[F. No. A-12011/3/2009-AT]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

Foot Note :- **The Principal rules were published in the Gazetted of India vide G.S.R. No.1036 (E) on 27th October, 1988 and subsequently amended vide G.S.R.No.1024 (E) dated 20th November, 1989, G.S.R.No.494 dated 20th August, 1991, G.S.R. No.472 (E) dated 20th August, 1997 and G.S.R.No.154 (E) dated 23rd February, 2000.**

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.